



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 36/2025

दायर दिनांक 20.06.2025

अनवान

01. देवीलाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम

.....वादी

01. कन्हैयालाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री रामफूल धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

02. श्री मुकेश धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 14/10/2025

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 19.08.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 21 पर अंकित आराजी नम्बर 1424/1254 रकबा 0.5099 हैक्टेयर भूमि में वादी के 1/2 हिस्से का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1447 दिनांक 08.09.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पेज संख्या 02

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म
01	देवीलाल पिता जयलाल धाकड़ हिरसा सम्पूर्ण खातेदार नि. कल्याणपुरा	थड़ौदा	1424 / 1254 / 2	0.2549	माल I
	योग		खसरा 01	0.2549	
02	कन्हैयालाल पिता जयलाल धाकड़ हिरसा सम्पूर्ण सा0 खातेदार नि. कल्याणपुरा	थड़ौदा	1424 / 1254 / 1	0.2550	माल I
	योग		खसरा 01	0.2550	

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 14/01/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां





राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

दायर दिनांक 20.06.2025

करण संख्या 36/2025

अनवान

01. देवीलाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) डिक्रीदार

बनाम

01. कन्हैयालाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0) मदयूनान



यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रुबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय

निर्णय दिनांक : 14 / 10 / 2025

डिक्री दिनांक : 14 / 10 / 2025

बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री रामफूल धाकड़ एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1 श्री मुकेश धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :-

निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म
01	देवीलाल पिता जयलाल धाकड़ हिस्सा सम्पूर्ण खातेदार नि. कल्याणपुरा योग	थड़ौदा	1424 / 1254 / 2	0.2549	माल I
			खसरा 01	0.2549	
02	कन्हैयालाल पिता जयलाल धाकड़ हिस्सा सम्पूर्ण सा0 खातेदार नि. कल्याणपुरा योग	थड़ौदा	1424 / 1254 / 1	0.2550	माल I
			खसरा 01	0.2550	

उप खण्ड अधिकारी लगातार पेज संख्या 02 पर
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिग Nil बाबत्
Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूल याबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 10 वर्ष 2025 को जारी
किया गया।

नोट:- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक
14/10/2025 को मुर्तिब की गई।

3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
मुद	—		स्टाम्प अरजी दया	—	
स्टाम्प अरजी दया	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		मेहनताना वकील ()	—	
मेहनताना वकील ()	—		खर्चा गवाह	—	
खर्चा गवाह	—		फीस कमीशनर	—	
फीस कमीशनर	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		मुनफरिक	—	
मुनफरिक	—		मीजान	—	

3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

